

**फर्द अहकाम**  
**कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द**

दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पी एक्ट, 1956), पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी. एम.रोड, फार्ट, मुम्बई- 400001 तथा शाखा कार्यालय - 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई.रोड, जयपुर (राज.) जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश कुमार यादव।

-प्रार्थी कम्पनी

**बनाम**

1. श्री घासीलाल, निवासी आराजी संख्या 144, ग्राम काजियावास, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम पंचायत उथनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.)

एवं

निवासी - 23, काजियावास, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.)

एवं

कार्यालय पता- नई रोड, मनमोहन होटल के सामने, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द  
-ऋणी/बंधककर्ता

2. श्रीमती रेखा गुर्जर, निवासी आराजी संख्या 144, ग्राम काजियावास, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम पंचायत उथनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.)

एवं

निवासी - 23, काजियावास, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.)

-सहऋणी

-अप्रार्थीगण

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 14/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p><b>दिनांक 16.07.2020</b></p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर ने दिनांक: 17.02.2020 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>प्रार्थी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम.रोड, फार्ट, मुम्बई- 400001 तथा शाखा कार्यालय - 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई.रोड, जयपुर राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। मुकेश कुमार यादव उक्त कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी हैं।</p>	



अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 1314 के द्वारा 3,12,522/- रूपये एवं ऋण करार संख्या 877 के द्वारा 11,58,810/-रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्न भुगतान की सिक््योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति - प्लाट/ पट्टा नम्बर 49 जो कि आराजी संख्या 144, ग्राम काजियावास, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम पंचायत उथनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.) को प्रार्थीकम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नही कर सकें और दिनांक 01.03.2018 को ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खातो को एन.पी.ए. घोषित कर दिया हैं। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 1314 में बकाया रूपये 3,37,823/-रूपये (अक्षरे तीन लाख सैतीस हजार आठ सौ तेईस रूपये मात्र) बकाया रकम एवं ऋण खाता संख्या 877 में बकाया रूपये 11,87,813/-रूपये (अक्षरे ग्यारह लाख सितयासी हजार आठ सौ तेरह रूपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 23.04.2018 तक शेष व देय निकलते हैं कि मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋण खाता संख्या 1314 एवं ऋण खाता संख्या 877 में दिनांक 27.03.2018 को दो मांग नोटिस भी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. डाक के माध्यम से अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये तथा उक्त धारा 13(2) के दोनो नोटिस, दिनांक 19.05.2018 को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में प्रातःकाल व अंग्रेजी में दी इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित करवाये गये परन्तु धारा 13(2) के दोनो नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नही किया गया हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पत्ति रहन रखी हैं उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजो के अनुसार विवरण इस प्रकार हैं। एक आवासीय प्लाट/ पट्टा नम्बर 49 जो कि आराजी संख्या 144, ग्राम काजियावास, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम पंचायत उथनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.) में स्थित हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 1172.50 वर्गफीट हैं तथा उक्त सम्पत्ति श्री घासीराम गुर्जर पुत्र श्री भंवर लाल गुर्जर के पक्ष में ग्राम पंचायत उथनोल, पंचायत समिति खमनोर, जिला राजसमन्द द्वारा जारी आबादी भूमि का विनियमितकरण विलेख संख्या 49, दिनांक 07.08.2015 के अनुसार लिखी गई। प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 28.08.2018 को ऋणी व सह ऋणी को प्रतिभूति आस्ति का भौतिक कब्जा शान्ति पूर्ण प्रदान करने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने प्रतिभूति आस्ति का भौतिक कब्जा देने से मना कर दिया तब प्राधिकृत अधिकारी ने न्याय व्यवस्था में व्यवधान होने का अंदेशा जानकर उक्त प्रतिभूति आस्ति का सांकेतिक कब्जा लिया तथा उक्त नोटिस दिनांक 30.08.2018 को दो मुख्य अखबारों क्रमशः हिन्दी में दैनिक लोकमत व अंग्रेजी में दी इण्डियन एक्सप्रेस में भी प्रकाशित करवाया गया परन्तु तत्पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा बंधक सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को सौपा नही गया तथा प्रार्थी कम्पनी द्वारा न्याय व्यवस्था बनाये रखने हेतु उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का निर्णय किया तथा उक्त कार्यवाही के उपरांत भी अप्रार्थीगण ने ऋण में बकाया कुल राशि का भुगतान आदिनांक तक नही किया हैं। प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उक्त



चरण सं० 5 में वर्णित सिक्यूरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने का अधिकारी हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 27.03.2018 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए०डी० की रसीदे प्रस्तुत की गयी एवं अखबार में दिनांक: 19.05.2018 को नोटिस का प्रकाशन करवाया गया। जिसकी प्रति पेश की गयी। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे में आबादी भूमि का विनियमितिकरण विलेख के अनुसार बन्धक सम्पत्ति का विवरण :- 144, ग्राम काजियावास, सरकारी स्कूल के पास, ग्राम पंचायत उथनोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द(राज.) है, जिसका माप 1172.50 वर्गफीट हैं, जिसकी चतुर्सीमा पड़ोस निम्न प्रकार है कि :- पूर्व - गंगाराम का वाडा, पश्चिम - गमेर गुर्जर का मकान, उत्तर - स्वयं का रास्ता, दक्षिण - गंगाराम का मकान।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त निवासी सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी दिवान हाउसिंग फाइनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड जयपुर को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
जिला मजिस्ट्रेट  
राजसमन्द

